

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे विनियोग अधिनियमों के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को पृथक-पृथक रूप से दर्ज करते हैं तथा बजट के प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत व्यय के समक्ष विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सरल बनाते हैं अतः वित्त लेखे के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्दर है और संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किया जाने वाला व्यय उसी प्रकार प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या, किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुस्रूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार, वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से सामग्री जिन पर इनके अनुमान आधारित होते हैं, प्राप्त कर, वार्षिक बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्यय के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों के परामर्श से तैयार किये जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात, वित्त विभाग अनुमानों का समेकन करता है तथा विस्तृत अनुमानों एवं अनुदानों को तैयार करता है। जहाँ तक सम्भव हो व्यय के अनुमान यथार्थ होने चाहिये। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया में परिकल्पित है कि किसी निश्चित मद पर व्यय के अनुमान में उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होती है जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा ना तो यह अधिक होगी ना ही कम। किसी अनुमान में बचत उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जैसा कि इसमें आधिक्य।

राबनि का वर्ष 1995 में अंतिम प्रकाशन हुआ था। पन्द्रह वर्षों के बाद, जुलाई 2010 में, राज्य सरकार द्वारा राबनि के संशोधन का कार्य एक नवम्बर 2011 तक पूर्ण करने हेतु एक निजी लिमिटेड कम्पनी को सौंपा गया। तथापि, मंत्रिमण्डल द्वारा संशोधित राबनि का प्रकाशन प्रक्रियाधीन होना बताया गया है (सितम्बर 2012)। इसके अतिरिक्त, जबकि मुद्रित प्रतियाँ प्रतीक्षित थीं, राबनि वेबसाइट¹ पर दिनांक 27 सितम्बर 2012 को उपलब्ध किया जाना बताया गया।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत बजट तथा व्यय के प्रबंधन में पाई गयी कमियाँ एवं बजट नियमावली की अवहेलना की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है।

¹ <http://www.finance.rajasthan.gov.in>

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2011-12 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति जैसी कि तालिका 2.1 में दी गई है, के अनुसार थी:

तालिका 2.1 : मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I-राजस्व	45,055.06	4,678.03	49,733.09	46,334.84	(-) 3,398.25
	II-पूँजीगत	9,582.10	1,567.61	11,149.71	7,806.88	(-) 3,342.83
	III-कर्ज तथा उधार	39.58	738.50	778.08	1,109.10	(+) 331.02
योग दत्तमत		54,676.74	6,984.14	61,660.88	55,250.82	(-) 6,410.06
प्रभारित	IV-राजस्व	8,082.71	19.43	8,102.14	7,974.99	(-) 127.15
	V-पूँजीगत	0.01	-	0.01	-	(-) 0.01
	VI-लोक ऋण- पुनर्भुगतान	3,474.36	16.11	3,490.47	3,490.42	(-) 0.05
योग प्रभारित		11,557.08	35.54	11,592.62	11,465.41	(-) 127.21
आकस्मिकता निधि को विनियोग		-	-	-	-	-
कुल योग		66,233.82	7,019.68	73,253.50	66,716.23²	(-) 6,537.27

स्रोत: विनियोग लेखे।

₹ 6,537.27 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व अनुभाग के दो विनियोगों एवं पूँजीगत अनुभाग की एक अनुदान में ₹ 0.12 करोड़ के आधिक्य (जैसाकि तालिका 2.11 में दिया गया है) से प्रतिसादित, राजस्व अनुभाग की 49 अनुदानों एवं 42 विनियोगों तथा पूँजीगत अनुभाग की 32 अनुदानों एवं चार विनियोगों में हुई ₹ 6,537.39 करोड़ की बचत का परिणाम थी। कर्ज तथा उधार में आधिक्य (₹ 331 करोड़) मुख्यतः "6217-03-छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास" के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के लिये किये गये पूँजीगत व्यय को ऋण में रूपान्तरित करने एवं "6801-800 विद्युत बोर्डों³ को अन्य ऋण के अन्तर्गत" अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति पर हुये व्यय को पूरित करने के कारण था।

बचतों/आधिक्यों के आँकड़े (विस्तृत विनियोग लेखे) नियंत्रण अधिकारियों को महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के अनुरोध के साथ सूचित किये गये (जुलाई 2012)। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा प्रत्येक विभाग को आधिक्यों/बचतों के कारण

2. ये सकल व्यय के आँकड़े हैं जिनमें व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित नहीं हैं (राजस्व: ₹ 656.52 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 687.63 करोड़, कुल: ₹ 1,344.15 करोड़)
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

प्रस्तुत करने हेतु नियमित रूप से स्मरण-पत्र जारी किये जाते रहे थे। 1,021 उप-शीर्षों में से, 376 उप-शीर्षों (बचतः 287 उप-शीर्ष तथा आधिक्यः 89 उप-शीर्ष) में अंतरों के स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुये थे (अगस्त 2012)।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों से प्रकट हुआ कि 22 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट 2.1)।

₹ 6,537.27 करोड़ की कुल बचतों में से, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की राशि ₹ 5,510.26 करोड़ (84.3 प्रतिशत) की बचतें 14 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 19 मामलों में हुईं जैसाकि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 : ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की बचतों के साथ अनुदानों/विनियोगों की सूची

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	(₹ करोड़ में)
1.	3-सचिवालय	506.84	0.34	507.18	150.34	356.84
2.	8-राजस्व	575.70	-	575.70	438.39	137.31
3.	9-वन	565.54	नगर्य राशि	565.54	430.84	134.70
4.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6,154.27	नगर्य राशि	6,154.27	5,930.03	224.24
5.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	10,328.23	655.47	10,983.70	10,469.58	514.12
6.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2,752.40	425.39	3,177.79	2,984.61	193.18
7.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,376.82	197.17	1,573.99	1,471.16	102.83
8.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,028.88	276.59	2,305.47	2,110.99	194.48
9.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	1,272.82	300.41	1,573.23	1,029.37	543.86
10.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,520.78	384.72	1,905.50	1,702.62	202.88
पूँजीगत-दत्तमत						
11.	3-सचिवालय	600.00	-	600.00	-	600.00
12.	19-लोक निर्माण कार्य	252.39	51.90	304.29	194.48	109.81
13.	21-सड़कें एवं पुल	671.31	575.79	1,247.10	1,087.98	159.12
14.	27-पेयजल योजना	1,473.75	-	1,473.75	880.57	593.18

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	याग	वास्तविक व्यय	बचत
15.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	987.34	नगण्य राशि	987.34	632.80	354.54
16.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,086.90	0.38	1,087.28	691.84	395.44
17.	46-सिंचाई	751.52	नगण्य राशि	751.52	580.26	171.26
18.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,251.01	0.52	1,251.53	849.72	401.81
राजस्व-प्रभारित						
19.	ब्याज अदायगियाँ	8,012.48	नगण्य राशि	8,012.48	7,891.82	120.66
	योग	42,168.98	2,868.68	45,037.66	39,527.40	5,510.26

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त अनुदानों के अन्तर्गत हुई बचतों के कारणों पर चर्चा नीचे की गई है:

● **अनुदान संख्या 3 - " सचिवालय "**

बचतें (₹ 356.84 करोड़) मुख्यतः "3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें-आयोजना विभाग के माध्यम से-राज्य स्तरीय नवीन योजनाओं" के अन्तर्गत हुई जिसमें ₹ 300 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान नयी परियोजनाओं के प्रारूप एवं ढाँचे की रूपरेखा नहीं होने के कारण वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया।

● **अनुदान संख्या 8- " राजस्व "**

बचतें (₹ 137.31 करोड़) मुख्यतः "2029-भू-राजस्व-भू-अभिलेख-जिला व्यय (₹ 50.98 करोड़)" के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में पदों के रिक्त रहने के कारण हुई। यह राबनि के अनुच्छेद 53(7)(i) एवं (ii) के प्रावधानों के विरुद्ध थी। इसके अतिरिक्त, भू-प्रबंधन विभाग के आधुनिकीकरण में बचतें (₹ 68.63 करोड़) मुख्यतः राज्य स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियों एवं नीति निर्णय के अभाव के कारण हुई, परिणामतः राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

● **अनुदान संख्या 9- " वन "**

बचतें (₹ 134.70 करोड़) मुख्यतः "2406-वानिकी तथा वन्य जीव-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-वन्य जीव परिस्करण-बाघ परियोजना, रणथम्भौर (₹ 84.58 करोड़) तथा बाघ परियोजना, सरिस्का (₹ 16.81 करोड़)" के अन्तर्गत भारत सरकार से अभ्यारण्य क्षेत्रों में परिवारों के विस्थापन हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण रही।

● **अनुदान संख्या 15 - " पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ "**

अनुदान में बचतें (₹ 224.24 करोड़) मुख्यतः " 2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-अधिवार्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ता-राज्य कर्मचारियों को पेंशन" में कोषाधिकारियों द्वारा अंतिम व्यय प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण रही।

- **अनुदान संख्या 24- "शिक्षा, कला एवं संस्कृति"**

बचतें (₹ 514.12 करोड़) "2202-सामान्य शिक्षा-प्रारम्भिक शिक्षा-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (₹ 319.03 करोड़)" के अन्तर्गत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुई। यह राबनि के अनुच्छेद 53(7)(i) एवं (ii) के प्रावधानों के विरुद्ध थी। इसके अतिरिक्त, "माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक विद्यालय" के अन्तर्गत बचतें (₹ 293.87 करोड़) मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण रही।

- **अनुदान संख्या 26 - "चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई"**

बचतें (₹ 193.18 करोड़) "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें (एलोपैथी)-अस्पताल तथा औषधालय (₹ 42.21 करोड़) "तथा "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी (₹ 51.38 करोड़)" के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने के कारण थी। इसके अतिरिक्त "2211- परिवार कल्याण" के अन्तर्गत ₹ 37.29 करोड़ की बचतें पदों के रिक्त रहने एवं भारत सरकार से परंपरागत गर्भनिरोधकों की कम प्राप्ति के कारण थी। पदों के रिक्त रहने के कारण बचतें राबनि के अनुच्छेद 53(7)(i) एवं (ii) के प्रावधानों के विरुद्ध थी।

- **अनुदान संख्या 29- "नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास "**

अनुदान के अन्तर्गत बचतें (₹ 102.83 करोड़) मुख्यतः "2217-शहरी विकास-छोटे/मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना" में हुई, जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा तथा वर्ष के अंत में अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित हुआ, जिसके कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)।

- **अनुदान संख्या 30- "जनजाति क्षेत्रीय विकास"**

बचतें (₹ 194.48 करोड़) " 2202-सामान्य शिक्षा-प्रारम्भिक शिक्षा-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (₹ 46.55 करोड़)" के अन्तर्गत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुई। यह राबनि के अनुच्छेद 53(7)(i) एवं (ii) के प्रावधानों के विरुद्ध थी। इसके अतिरिक्त, "2505-ग्रामीण स्वरोजगार-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" में ₹ 18.82 करोड़ की बचतें भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी। "2217-शहरी विकास-सामान्य-छोटे एवं मध्यम कस्बों की आधारभूत विकास योजना" में ₹ 21.28 करोड़ की बचतों तथा "2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-मिड डे मील सहायता योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम" में ₹ 26.08 करोड़ की बचतों के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)।

- **अनुदान संख्या 34- "प्राकृतिक आपदाओं से राहत"**

बचतें (₹ 543.86 करोड़) मुख्यतः " 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत" के अन्तर्गत सूखा ग्रस्त क्षेत्रों (₹ 361.25 करोड़) एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों (₹ 178.62 करोड़) में

कम राहत कार्यों के कारण हुई। तथापि, अंतिम बचत के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)।

● **अनुदान संख्या 51- "अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना"**

बचतें (₹ 202.88 करोड़) मुख्यतः "2029-भू-राजस्व-भू-प्रबंधन विभाग का आधुनिकीकरण" में रहीं, जहाँ ₹ 17.11 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान राखूआका के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। "2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" (₹ 47.13 करोड़), "2217-शहरी विकास-छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना" (₹ 29.21 करोड़) तथा शीर्ष "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-मिड डे मील सहायता योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम" (₹ 31.56 करोड़) में हुई बचतों के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)। शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-छात्रवृत्ति एवं वजीफा" (₹ 19.36 करोड़) एवं "2505-ग्रामीण रोजगार-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना" (₹ 30 करोड़) में मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण बचत रही।

● **अनुदान संख्या 3- "सचिवालय" (पूँजीगत)**

बचतें (₹ 600 करोड़) मुख्यतः शीर्ष "5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-अन्य व्यय-राज्य आयोजना बोर्ड द्वारा अनुशंशित योजनायें-आयोजना विभाग" में हुई, जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान नयी परियोजनाओं के प्रारूप एवं ढाँचे की रूपरेखा नहीं बनने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

● **अनुदान संख्या 19- "लोक निर्माण कार्य" (पूँजीगत)**

बचतें (₹ 109.81 करोड़) मुख्यतः शीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-सामान्य-निर्माण" के अंतर्गत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/कम निष्पादन के कारण थी।

● **अनुदान संख्या 21- "सड़कें एवं पुल" (पूँजीगत)**

कुल प्रावधान ₹ 1,247.10 करोड़ (₹ 575.79 करोड़ के अनुपूरक अनुदान सहित) के समक्ष ₹ 159.12 करोड़ की बचत रही। शीर्ष "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-राज्य राजमार्ग-सड़क निर्माण कार्य राज्य सड़क निधियों से पोषित सड़क-निर्माण कार्य" में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधियों में वृद्धि (₹ 105.97 करोड़) की गई जो अनुपयोजित रहने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई। बचतों के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)।

● **अनुदान संख्या 27- "पेयजल योजना" (पूँजीगत)**

बचतें (₹ 593.18 करोड़) मुख्यतः "4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय" में हुई। ग्रामीण जलापूर्ति (₹ 253.06 करोड़) एवं उचंत-स्टॉक (₹ 265.88 करोड़) में

बचतें मुख्यतः निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण रही। सरकार द्वारा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)।

- **अनुदान संख्या 29- "नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास" (पूँजीगत)**

बचतें ($\text{₹ } 354.54$ करोड़) मुख्यतः "4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से विकास कार्य ($\text{₹ } 197.36$ करोड़) तथा विभिन्न शहरी निकायों की शहरी सङ्कों एवं नालियों पर अन्य व्यय ($\text{₹ } 63.43$ करोड़) में हुई। सरकार द्वारा बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अगस्त 2012)।

- **अनुदान संख्या 30- "जनजाति क्षेत्रीय विकास" (पूँजीगत)**

बचतें ($\text{₹ } 395.44$ करोड़) मुख्यतः शीर्ष "4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-जलापूर्ति-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं एवं शहरी जलापूर्ति योजनाओं ($\text{₹ } 90.85$ करोड़) में कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नहीं होने के कारण हुई, "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-सामान्य-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" ($\text{₹ } 118.70$ करोड़) में बचत बिजली कम्पनियों में कम निवेश के कारण रही। इसके अतिरिक्त, शीर्ष "4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीकरण मिशन" में $\text{₹ } 35.25$ करोड़ की बचतों तथा शीर्ष "5054-सङ्कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में राज्य राजमार्ग" में रही $\text{₹ } 97.22$ करोड़ की बचतों के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये थे (अगस्त 2012)।

- **अनुदान संख्या 46- "सिंचाई" (पूँजीगत)**

अनुदान के अंतर्गत बचतें ($\text{₹ } 171.26$ करोड़) मुख्यतः "4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय" इंदिरा गांधी नहर परियोजना-वाणिज्यिक ($\text{₹ } 30.35$ करोड़) में कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धित निर्माण कार्य शीर्षों पर भारित करने के कारण रही। इसके अतिरिक्त, नर्मदा परियोजना-वाणिज्यिक ($\text{₹ } 96.04$ करोड़) तथा राजस्थान जलक्षेत्र पुनः संरचना परियोजना ($\text{₹ } 28.82$ करोड़) में बचतें निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

- **अनुदान संख्या 51- "अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना" (पूँजीगत)**

बचतें ($\text{₹ } 401.81$ करोड़) मुख्यतः "4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलापूर्ति ($\text{₹ } 100.59$ करोड़), "4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-अनुसूचित जाति के लिये विशिष्ट संघटक योजना-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीकरण मिशन के अन्तर्गत विकास कार्य" ($\text{₹ } 48.39$ करोड़) एवं "5054-सङ्कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-राज्य राजमार्ग-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना" ($\text{₹ } 62.72$

करोड़) में रही, जिनके कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)। "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-सामान्य-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना" में बचतें (₹ 162.17 करोड़) बिजली कम्पनियों में कम निवेश को आरोपित की गयी।

● व्याज अदायगियाँ (राजस्व-प्रभारित)

बचतें (₹ 120.66 करोड़) मुख्यतः "2049-व्याज अदायगियाँ-आंतरिक ऋण पर व्याज-बाजार कर्जों पर व्याज-चालू ऋणों पर व्याज-नया ऋण" के अन्तर्गत नियोजित विभिन्न नये ऋणों को जारी नहीं करने के कारण हुई।

2.3.2 निरन्तर बचतें

र्याहर प्रकरणों में, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक की निरन्तर बचतें थीं (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें इंगित करने वाली अनुदानों की सूची
(₹ करोड़ में)

अनुदान की संख्या एवं नाम	बचतों की राशि		
	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व - दत्तमत			
03-सचिवालय	19.09	42.32	356.84
09-वन	84.32	66.03	134.70
पूंजीगत-दत्तमत			
09-वन	59.30	49.44	20.23
19-लोक निर्माण	47.82	22.33	109.81
23-श्रम और रोजगार	1.28	3.83	2.57
27-पेयजल योजना	1,071.44	705.25	593.18
29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	186.83	269.07	354.54
33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10.93	7.95	21.83
35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	708.14	498.10	17.22
37-कृषि	92.15	36.38	34.41
46-सिंचाई	185.79	181.67	171.26

स्रोत: विनियोग लेखे

अनुदान संख्या 03 में, वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 19.09 करोड़ एवं ₹ 356.84 करोड़ के मध्य थीं। बचतों के मुख्य कारण वर्ष 2009-10 के दौरान पदों का रिक्त रहना तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन बकाया का भुगतान नहीं होना थे एवं वर्ष 2010-12 के दौरान राज्य आयोजना बोर्ड से अनुशंसा के लिये उचित प्रस्तावों का प्राप्त नहीं होना थे।

अनुदान संख्या 09 में, वर्ष 2009-12 के दौरान राजस्व अनुभाग में निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 66.03 करोड़ एवं ₹ 134.70 करोड़ के मध्य थीं एवं मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-12 के दौरान पूंजीगत अनुभाग में ₹ 20.23 करोड़ एवं ₹ 59.30

करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें केवलादेव राष्ट्रीय पार्क तथा वनों/कैम्पा हेतु विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत आयोजना सीमा में कटौती के कारण थीं।

अनुदान संख्या 19 में, वर्ष 2009-12 के दौरान राजस्व अनुभाग में निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 22.33 करोड़ एवं ₹ 109.81 करोड़ के मध्य थीं। बचतों के मुख्य कारण लोक निर्माण विभाग की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति थे।

अनुदान संख्या 23 में, वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 1.28 करोड़ एवं ₹ 3.83 करोड़ के मध्य थीं। वर्ष 2009-10 के दौरान बचतें मुख्यतः प्रशिक्षण तथा उच्च स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत आयोजना सीमा में कटौती के कारण थीं तथा वर्ष 2010-12 में यह वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पर्याप्त टेन्डर प्राप्त न होने, फर्मों से सामग्री कम प्राप्त होने तथा फर्म द्वारा आपूर्ति की गई कुछ सामग्री को तकनीकी कारणों से निरस्त करने एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विश्व बैंक के नियम व शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण थीं।

अनुदान संख्या 27 में, वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 593.18 करोड़ एवं ₹ 1,071.44 करोड़ के मध्य थीं। बचतों के मुख्य कारण विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं में कार्यों की धीमी प्रगति थी। वर्ष 2011-12 में अंतिम बचतों के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 29 में, वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 186.83 करोड़ एवं ₹ 354.54 करोड़ के मध्य थीं। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान बचतें आयोजना सीमा में कटौती एवं भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी तथा वर्ष 2011-12 में राजस्थान शहरी विकास निधि को अनुदान नहीं दिये जाने, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा बीसलपुर परियोजना के बिलों के भुगतान में विलम्ब के कारण थी।

अनुदान संख्या 33 में, वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 7.95 करोड़ एवं ₹ 21.83 करोड़ के मध्य थीं। वर्ष 2009-10 में बचतें मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा कार्यों, भूमि की अनुपलब्धता, के कम निष्पादन के कारण थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-12 में बचतें मुख्यतः भूमि की अनुपलब्धता, आयोजना सीमा में कटौती, कार्यों के प्रारम्भ नहीं होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण थीं।

अनुदान संख्या 35 में, वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 17.22 करोड़ एवं ₹ 708.14 करोड़ के मध्य थीं। बचतें क्रमशः वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में मुख्यतः "राजस्थान राज्य निवेश निधि" की अनुपयोजित राशि को "आरक्षित निधि से पूँजीगत शीर्ष" में जमा कराने, "राजस्थान राज्य निवेश निधि" में ₹ 492.32 करोड़ निवेशित नहीं करने तथा भारत सरकार से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थीं।

अनुदान संख्या 37 में, वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 34.41 करोड़ एवं ₹ 92.15 करोड़ के मध्य थीं। बचतों का मुख्य कारण

वर्ष 2009-11 में आयोजना सीमा में कटौती तथा वर्ष 2011-12 में भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति थे।

अनुदान संख्या 46 में, वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें कुल बजट में से ₹ 171.26 करोड़ एवं ₹ 185.79 करोड़ के मध्य थीं। वर्ष 2009-10 में बचतें इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक), नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक), राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना में तथा लघु सिंचाई योजनाओं के पुनर्वास के अन्तर्गत वार्षिक आयोजना परिव्यय में कटौती के परिणामस्वरूप कार्यों के कम निष्पादन के कारण थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 में बचतें नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, गरड़दा परियोजना (वाणिज्यिक) तथा लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जेआईसीए) के अन्तर्गत कार्यों के कम निष्पादन के कारण थीं तथा वर्ष 2011-12 में बचतें कार्यों के कम निष्पादन के कारण थीं।

2.3.2.1 अनुदान संख्या 9, 26, 32, 37 तथा 46 के अन्तर्गत निरन्तर बचतें की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की विवेचना निम्नानुसार है:

अनुदान संख्या 09- वन

वन विभाग

वर्ष 2009-12 के दौरान, चार उप-शीर्षों में, निरंतर बचतें ₹ 0.15 करोड़ एवं ₹ 85.12 करोड़ के मध्य कुल प्रावधान के एक प्रतिशत से 100 प्रतिशत थी जैसाकि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें को दर्शाने वाली मुख्य शीर्षों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुप्रक.)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
आयोजना भिन्न						
1.	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	2009-10	255.63	252.00	3.63	1.4
	01-वानिकी	2010-11	271.42	257.82	13.60	5.0
	001-निदेशन तथा प्रशासन	2011-12	301.55	284.20	17.35	5.8
केन्द्रीय प्रवर्तित योजना						
2.	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	2009-10	1.88	1.20	0.68	36.2
	01-वानिकी	2010-11	2.25	0.91	1.34	60.0
	101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	2011-12	2.25	1.77	0.48	21.3
11-समेकित वन सुरक्षा योजना (1 : 3)						
आयोजना						
3.	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	2009-10	106.42	41.87	64.55	60.7
	02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	2010-11	68.28	43.06	25.22	36.9
	110-वन्य जीव परिष्कार	2011-12	104.78	19.66	85.12	81.2
आयोजना						
4.	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	2009-10	0.37	0.22	0.15	40.5
	02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	2010-11	0.40	-	0.40	100.0
	110-वन्य जीव परिष्कार	2011-12	0.40	-	0.40	100.0
केन्द्रीय प्रवर्तित योजना						
		2009-10	4.61	4.01	0.60	13.0

क्र. स.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
		2010-11	5.00	2.57	2.43	48.6
		2011-12	4.40	2.54	1.86	42.3

स्रोत: विनियोग लेखे

वन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बचतें मुख्यतः विभिन्न संवर्गों में पदों के रिक्त रहने, अपूर्ण वेतन स्थिरीकरण, कार्य प्रभारित कर्मचारियों को बकाया का कम भुगतान, संविदा वन सुरक्षाकर्मियों की सेवायें समाप्त होना, वन क्षेत्रों से ग्रामों का स्थानांतरण नहीं होना जिसके लिये ग्रामीणों की सहमति आवश्यक थी तथा भारत सरकार से सहायता के रूप में द्वितीय किश्त प्राप्त न होने के कारण रही। उपशीर्ष "2406-02-110-03" वन क्षेत्रों का संधारण(आयोजना) के अन्तर्गत शत प्रतिशत बजट प्रावधान अनुपयोजित रहा क्यों भारत सरकार ने अपना अंश जारी नहीं किया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का मेविंग शेयर जारी नहीं हुआ।

अनुदान संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

वर्ष 2009-12 के दौरान, 13 उप-शीर्षों में, निरंतर बचतें ₹ 0.10 करोड़ एवं ₹ 94 करोड़ के मध्य बजट प्रावधान का दो प्रतिशत से 78 प्रतिशत थीं, जैसाकि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5 : वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतों को दर्शाने वाली मुख्य शीर्षों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01-अध्यापन अस्पताल 08-सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर (आयोजना भिन्न)	2009-10	68.72	62.82	5.90	8.6
		2010-11	86.46	67.84	18.62	21.5
		2011-12	81.13	74.35	6.78	8.4
2.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01-अध्यापन अस्पताल 10-जनाना अस्पताल, जयपुर (आयोजना भिन्न)	2009-10	12.84	11.58	1.26	9.8
		2010-11	12.38	11.98	0.40	3.2
		2011-12	14.07	12.78	1.29	9.2
3.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01-अध्यापन अस्पताल 11-क्षेत्र रोग अस्पताल, जयपुर (आयोजना भिन्न)	2009-10	6.08	5.57	0.51	8.4
		2010-11	6.27	5.84	0.43	6.9
		2011-12	7.15	6.37	0.78	10.9
4.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01-अध्यापन अस्पताल 31-महाराव थीम सिंह चिकित्सालय, कोटा (आयोजना भिन्न)	2009-10	16.39	15.74	0.65	4.0
		2010-11	17.15	16.16	0.99	5.8
		2011-12	18.98	17.45	1.53	8.1
5.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी	2009-10	5.46	4.91	0.55	10.1
		2010-11	5.35	4.90	0.45	8.4

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (भूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	110-अस्पताल तथा औषधालय 02-भ्रमणशील अस्पताल 01-भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जोधपुर (आयोजना-मिन्न)	2011-12	6.62	5.12	1.50	22.7
6.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 03-अन्य अस्पताल तथा औषधालय 01-सामान्य अस्पताल (आयोजना मिन्न)	2009-10	231.48	218.00	13.48	5.8
		2010-11	307.41	228.82	78.59	25.6
		2011-12	271.30	251.27	20.03	7.4
7.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें -अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 101-आयुर्वेद 01-निदेशन एवं प्रशासन (आयोजना मिन्न)	2009-10	11.59	10.77	0.82	7.1
		2010-11	11.80	10.32	1.48	12.5
		2011-12	12.75	9.89	2.86	22.4
8.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें -अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 101-आयुर्वेद 03-शिक्षा 01-आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर (आयोजना मिन्न)	2009-10	6.55	5.52	1.03	15.7
		2010-11	5.72	5.45	0.27	4.7
		2011-12	6.34	4.87	1.47	23.2
9.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 01-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आयोजना मिन्न)	2009-10	279.48	243.16	36.32	13.0
		2010-11	345.77	252.24	93.53	27.0
		2011-12	31.45	9.00	22.45	71.4
10.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ 101-आयुर्वेद 01-अस्पताल तथा औषधालय (आयोजना मिन्न)	2009-10	244.83	227.78	17.05	7.0
		2010-11	322.17	250.06	72.11	22.4
		2011-12	290.47	267.72	22.75	7.8
11.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-एलोपैथी 01-शिक्षा 02-चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर (आयोजना)	2009-10	2.58	1.22	1.36	52.7
		2010-11	3.13	3.03	0.10	3.2
		2011-12	10.23	7.43	2.80	27.4
12.	2211-परिवार कल्याण 003-प्रशिक्षण 02-आकजली नर्स, मिडवाइफ, वार्ड और महिला स्वास्थ्य पर्योक्षकों का प्रशिक्षण (सीएसएस)	2009-10	10.83	10.53	0.30	2.8
		2010-11	12.25	11.58	0.67	5.5
		2011-12	13.79	12.79	1.00	7.3
13.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 07-अन्य व्यय 05-चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर (आयोजना)	2009-10	2.92	2.29	0.63	21.6
		2010-11	3.38	2.91	0.47	13.9
		2011-12	13.76	3.08	10.68	77.6

स्रोत: विनियोग लेखे

विभाग द्वारा पदों का रिक्त रहना, एसीपी बकाया का कम भुगतान एवं बिजली बिलों, पानी के बिलों तथा टेलीफोन प्रभार बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण बताये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को संगत शीर्षों के अन्तर्गत बचत की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना चाहिये था तथा अनुमानों को राबनि के अनुच्छेद 53(7) के प्रावधानों के अनुसार तैयार करना चाहिये था जिसके अनुसार कार्यरत स्थापना के आधार पर बजट अनुमान प्रतिपादित किये जाने थे।

अनुदान संख्या 32- नागरिक आपूर्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

तीन उप-शीर्षों में, निरन्तर बचतें ₹ 0.16 करोड़ एवं ₹ 4.82 करोड़ के मध्य कुल प्रावधान का एक प्रतिशत से 32 प्रतिशत थीं जैसाकि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6 : वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतों को दर्शाने वाली मुख्य शीर्षों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	3456-सिविल आपूर्ति 001- निवेशन एवं प्रशासन 01-खाद्य आयुक्त के माध्यम से 01-मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)	2009-10	3.50	3.00	0.50	14.3
		2010-11	3.41	2.89	0.52	15.2
		2011-12	3.50	3.34	0.16	4.6
2.	3456-सिविल आपूर्ति 001- निवेशन एवं प्रशासन 01-खाद्य आयुक्त के माध्यम से 02-जिला कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)	2009-10	20.36	15.54	4.82	23.7
		2010-11	19.38	15.04	4.34	22.4
		2011-12	17.43	17.25	0.18	1.0
3.	3456-सिविल आपूर्ति 102-नागरिक आपूर्ति योजना 01-खाद्य भंडारण योजना 04-अन्पूर्णा योजना (आयोजना)	2009-10	7.00	5.21	1.79	25.6
		2010-11	6.90	5.77	1.13	16.4
		2011-12	4.94	3.39	1.55	31.4

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

विभाग ने बताया (जून 2012) कि पदों के रिक्त रहने, थोक विक्रेताओं द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं करने एवं प्रत्येक माह चयनित व्यक्तियों द्वारा अन्पूर्णा योजना का लाभ नहीं लिये जाने के कारण बचत रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को संगत शीर्षों के अन्तर्गत बचत की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना चाहिये था तथा अनुमानों को

राबनि के अनुच्छेद 53(7) के प्रावधानों के अनुसार तैयार करना चाहिये था जिसके अनुसार कार्यरत स्थापना के आधार पर बजट अनुमान प्रतिपादित किये जाने थे।

अनुदान संख्या 37- कृषि

कृषि विभाग

चार उप-शीर्षों में निरंतर बचतें ₹ एक करोड़ एवं ₹ 10 करोड़ के मध्य कुल प्रावधान (आयोजना) का दो प्रतिशत से 100 प्रतिशत थीं जैसाकि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7 : वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतों को दर्शाने वाली मुख्य शीर्षों की सूची (₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2401-फसल कृषि-कर्म 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें 25-राष्ट्रीय बागवानी मिशन (15 प्रतिशत राज्यांशः 85 प्रतिशत केन्द्रांशः)	2009-10	8.50	-	8.50	100.0
		2010-11	9.15	5.00	4.15	45.4
		2011-12	10.67	6.38	4.29	40.2
2.	2401-फसल कृषि-कर्म 800-अन्य व्यय 27-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विकेस) 02-उद्यान विभाग के माध्यम से	2009-10	37.49	28.67	8.82	23.5
		2010-11	47.30	38.24	9.06	19.2
		2011-12	122.95	119.60	3.35	2.7
3.	2401-फसल कृषि-कर्म 800-अन्य व्यय 27-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विकेस) 03-पशुपालन विभाग के माध्यम से	2009-10	10.62	2.73	7.89	74.3
		2010-11	12.50	8.46	4.04	32.3
		2011-12	15.01	9.14	5.87	39.1
4.	2401-फसल कृषि-कर्म 800-अन्य व्यय 27-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विकेस) 05-मतरस्य पालन विभाग के माध्यम से	2009-10	3.62	0.90	2.72	75.1
		2010-11	3.00	0.78	2.22	74.0
		2011-12	2.00	0.87	1.13	56.5

स्रोत: विनियोग लेखे

विभाग द्वारा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, किसानों द्वारा बागवानी मिशन में रुचि नहीं लिया जाना, विभाग में आहरण एवं वितरण अधिकारी की नियुक्ति न होना तथा पदों का रिक्त रहना आदि कारण बताये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि विभाग द्वारा आगामी वर्षों में अपनी माँगों में संशोधन नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या 46- सिंचार्झ

जल संसाधन विभाग

छ: उप-शीर्षों में निरंतर बचतें ₹ एक करोड़ एवं ₹ 85 करोड़ के मध्य कुल प्रावधान का 11 प्रतिशत से 94 प्रतिशत थीं जैसाकि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8 : वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतों को दर्शाने वाली मुख्य शीर्षों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
आयोजना भिन्न						
1.	2701-मध्यम सिंचाई 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 01-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान के माध्यम से 02-अधीक्षण	2009-10	9.12	8.08	1.04	11.4
		2010-11	9.21	8.14	1.07	11.6
		2011-12	10.38	8.62	1.76	17.0
2.	2701-मध्यम सिंचाई 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 01-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान के माध्यम से 03-निष्पादन	2009-10	63.34	56.90	6.44	10.2
		2010-11	65.74	57.17	8.57	13.0
		2011-12	70.55	61.31	9.24	13.1
3.	2701-मध्यम सिंचाई 80-सामान्य 197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती रस्तर की पंचायतों को सहायता 01-पंचायत समितियों को अनुदान 01-संरक्षण व्यय	2009-10	3.97	2.61	1.36	34.3
		2010-11	2.60	0.38	2.22	85.4
		2011-12	2.60	1.56	1.04	40.0
आयोजना						
4.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 24-नवदा परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 02-निर्माण कार्य 01-राजस्थान में निर्माण कार्य	2009-10	9.53	6.31	3.22	33.8
		2010-11	11.42	5.09	6.33	55.4
		2011-12	12.51	0.76	11.75	93.9
5.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 24-नवदा परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 01-राजस्थान में निर्माण कार्य	2009-10	155.85	127.62	28.23	18.1
		2010-11	178.35	94.32	84.03	47.1
		2011-12	156.75	73.30	83.45	53.2
6.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 02-राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना 02-निष्पादन (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	2009-10	140.07	100.11	39.96	28.5
		2010-11	135.69	89.69	46.00	33.9
		2011-12	89.78	65.07	24.71	27.5

स्रोत: विनियोग लेखे

विभाग द्वारा बचतों के कारण पदों का स्थिर रहना एवं नर्मदा नहर परियोजना तथा राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना इत्यादि में कार्यों का कम निष्पादन होना बताये गये (सितम्बर 2012)। यह पुष्टि करता है कि विभाग द्वारा राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 53(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्यरत स्थापना के आधार पर अनुमान तैयार नहीं किये गये थे तथा अन्य मामलों में स्वीकृत अनुमानों के आधार पर व्यय की योजना नहीं की गई थी।

2.3.3 आधिक्य व्यय

बारह प्रकरणों में, कार्यक्रम डिलीवरी विभागों ने विधानमण्डल द्वारा अनुदानों के माध्यम से निर्धारित की गयी व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय (₹ 64.65 करोड़) किया। ऐसे आधिक्य अनियमित हैं तथा इनमें निर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से विधानमण्डल की स्वीकृति भूतलक्षी प्रभाव से अपेक्षित है। इन 12 मामलों में, आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक और कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक था (परिशिष्ट 2.2)। तथापि, तीन मामलों में गत तीन वर्षों में निरन्तर समग्र आधिक्य व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ एवं अधिक) दृष्टिगत हुआ (तालिका 2.9)।

तालिका 2.9 : वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर आधिक्य दर्शाने वाली मुख्य शीर्षों की सूची (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखाशीर्ष	आधिक्य की राशि		
			2009-10	2010-11	2011-12
1.	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-02 अन्य शहरी जलपूर्ति योजनायें	18.44	2.06	1.64
2.	46-सिंचाई	2700-01-799-02 भारतीय व्यास प्रबंधन मण्डल	1.69	1.63	1.71
3.	46-सिंचाई	4702-800-06-04 निष्पादन	1.19	1.02	4.21

स्रोत: विनियोग लेखे।

निधियों का अपर्याप्त प्रावधान तथा परिणामी आधिक्य व्यय बजटिंग एवं व्यय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। सरकार द्वारा वर्ष 2009-12 में हुये आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)।

2.3.4 गत वर्षों (2008-11) से सम्बन्धित प्रावधानों से अधिक आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिये अनुदान/विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाना बाध्यकारी है। यद्यपि धारा के अन्तर्गत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तथापि, आधिक्य व्यय का नियमितीकरण जन लेखा समिति (जलेस) द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के बाद किया जाता है। तथापि, वर्ष 2008-11 के लिये आधिक्य व्यय की राशि ₹ 499.55 करोड़ का नियमन अभी किया जाना था (31 अगस्त 2012)। अनुदानों/विनियोगों में हुये आधिक्य व्यय जिसका नियमितीकरण लम्बित है की वर्ष-वार राशि को तालिका 2.10 में सारीकृत किया गया है। नियमितीकरण योग्य आधिक्य व्यय का अनुदान/विनियोग-वार विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.10: गत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों से अधिक आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विनियोगों एवं अनुदानों की संख्या	प्रावधान से अधिक आधिक्य की राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2008-09	16	444.03	
2009-10	5	35.72	
2010-11	6	19.80	
योग	27	499.55	राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमितीकरण नहीं किया गया।

स्रोत: विनियोग लेखे

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

2.3.5 वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधानों से अधिक आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

तालिका 2.11, वर्ष 2011-12 के दौरान एक अनुदान एवं दो विनियोगों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से अधिक कुल आधिक्य ₹ 0.12 करोड़ और जिसका संविधान की धारा 205 के अधीन नियमन अपेक्षित है, दर्शाती है।

**तालिका 2.11 : वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधानों से अधिक आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है
(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
दत्तमत अनुदान-पूँजीगत					
1.	48	विद्युत	3,041.19	3,041.20	0.01
		योग दत्तमत	3,041.19	3,041.20	0.01
प्रभारित अनुदान-राजस्व					
2.	12	अन्य कर	0.02	0.13	0.11
3.	36	सहकारिता	0.01	0.01	— ⁴
		योग प्रभारित	0.03	0.14	0.11
		कुल योग	3,041.22	3,041.34	0.12

स्रोत: विनियोग लेखे

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

राबनि के पैरा 183 में प्रावधित है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करने की आवश्यकता होती है, विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 10 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक का लिया गया ₹ 413.14 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं हुआ जैसाकि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है। महत्वपूर्ण प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक सिद्ध हुआ, नीचे सारांशीकृत किये गये हैं:

अनुदान संख्या 34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत में, मार्च 2012 में ₹ 300.41 करोड़ का अनुपूरक अनुदान राज्य आपदा मोर्चन निधि के पेटे ₹ 300.33 करोड़ की वर्ष 2010-11 की बकाया द्वितीय किश्त के हस्तांतरण हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा।

अनुदान संख्या 19-लोक निर्माण कार्य में, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत जेल के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 3.52 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ जिससे सम्पूर्ण प्रावधान 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)। इसके अतिरिक्त, राज्य आबकारी भवन के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 8.85 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, कार्यों के कम निष्पादन के कारण ₹ 15.38 करोड़ की बचत के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक सिद्ध हुआ। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत न्यायिक भवनों के निर्माण हेतु लिया गया

⁴ मात्र ₹ 57.

₹ 10.90 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, निर्माण हेतु स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण ₹ 9.38 करोड़ की कुल बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अतः, उप-शीर्षों के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता के आंकलन के बिना किया गया।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन किसी अनुदान के अन्तर्गत ही विनियोग की एक इकाई, जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई में जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, को निधियों का अंतरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ परिणामस्वरूप 104 उप-शीर्षों में ₹ 94.84 करोड़ का आधिक्य हुआ एवं 313 उप-शीर्षों में ₹ 446.57 करोड़ की बचतें रही। 52 उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक का पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचत थीं जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में वर्णित है। इन प्रकरणों में से, 21 लेखा-शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, 17 लेखा-शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन तथा 14 उप-शीर्षों में अत्याधिक पुनर्विनियोजन था। यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित आंकलन नहीं किया गया क्योंकि पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों में वृद्धि/कमी के बाद भी अनुदानों में अंतिम आधिक्य/बचत थी।

2.3.8 अवर्णित पुनर्विनियोजन

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 194 के अनुसार, पुनर्विनियोजन विवरण-पत्र में अतिरिक्त व्यय तथा बचतों के कारण स्पष्ट किये जाने चाहिये तथा अस्पष्ट अभिव्यक्ति यथा "वास्तविक आवश्यकता पर आधारित", "व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर", इत्यादि से बचा जाना चाहिये। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2,151 उप-शीर्षों में से, अतिरिक्त प्रावधान लेने/प्रावधान कम करने के लिए 821 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जिनमें से 72 उप-शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति के थे जैसे "वास्तविक आवश्यकता", "नवीनतम आंकलन पर आधारित" तथा "व्यय का प्रतिबंध" आदि। **इसके अतिरिक्त, 1330 उप-शीर्षों में कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिये गये थे।** यह राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्दिष्ट पारदर्शिता के सिद्धान्त के विपरीत है।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 138 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को चाहिये कि जैसे ही बचतें प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगों अथवा उसके भाग को वित्त विभाग को तुरन्त अभ्यर्पित कर देना चाहिये।

वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 6,537.39 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 6,078.92 करोड़ (93 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित की गई जो वास्तविक वित्तीय नियोजन की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सका।

20 अनुदानों में (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचतें) $\text{₹} 4,357.92$ करोड़ की कुल बचतों में से $\text{₹} 512.64$ करोड़ (कुल बचतों का 11.8 प्रतिशत) की कुल राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, जिनका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 39 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में $\text{₹} 20$ करोड़ से अधिक की निधियों का अभ्यर्पण), मार्च 2012 के अंतिम कार्य दिवस को $\text{₹} 5,911.32$ करोड़ (**परिशिष्ट 2.7**) अभ्यर्पित किये गये। विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अधिक बचतों के अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (अगस्त 2012)।

2.3.10 एकमुश्त प्रावधान

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 53(6) में निर्दिष्ट है कि व्यय करने वाले विभागों को चाहिये कि अनुमानों में व्यय का पूर्ण विवरण दिखाया जावें एवं अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जावें। वर्ष 2011-12 के दौरान, 79 प्रकरणों (77 अनुदानों एवं दो विनियोगों) में $\text{₹} 1,742.31$ करोड़ का एकमुश्त प्रावधान अनुमानों में करते हुये इस नियम का उल्लंघन किया गया। तथापि, इन प्रावधानों में $\text{₹} 1,573.72$ करोड़ (90.3 प्रतिशत) वर्ष की समाप्ति पर अनुपयोजित रहे, जिसे वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित कर दिया गया और शेष राशि पुनर्विनियोजित की गई, विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है। सरकार द्वारा इन प्रकरणों में एकमुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)।

2.3.11 वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण

सात अनुदानों एवं एक विनियोग में, अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक अनुदान में ₹ एक करोड़ या अधिक) वास्तविक बचतों से अधिक थी जो कि इन विभागों में अपर्याप्त बजटरी नियंत्रण को इंगित करती है। $\text{₹} 434.74$ करोड़ की बचतों के समक्ष, $\text{₹} 492.11$ करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई परिणामस्वरूप $\text{₹} 57.37$ करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ (**परिशिष्ट 2.9**)। विभागों ने वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (अगस्त 2012)।

2.3.12 व्यय की अधिकता

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 139 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिये। वर्ष 2011-12 के दौरान, कुल व्यय का 17 प्रतिशत व्यय मार्च माह में किया गया था। तथापि, **परिशिष्ट 2.10** में सूचीबद्ध किये गये 61 उप-शीर्षों में (प्रत्येक प्रकरण में $\text{₹} 10$ करोड़ से अधिक साथ ही कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक) $\text{₹} 3,557.20$ करोड़ का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जोकि कुल व्यय का 76 प्रतिशत था। इनमें से $\text{₹} 3,403.73$ करोड़ (73 प्रतिशत) मार्च 2012 में व्यय किये गये। इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंत में उल्लेखनीय राशि को खर्च करना व्यय के ऊपर कमज़ोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.4 बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये निधियों का हस्तांतरण

राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2012-13 में किसानों से गेहूँ खरीदने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ₹ 100 प्रति किंवन्टल बोनस का भुगतान करने की उद्घोषणा (30 मार्च 2012) की गई। इसके लिये, राज्य सरकार को ₹ 150 करोड़ की निधियाँ उपलब्ध करानी थी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अन्योदय योजना, बीपीएल अन्नपूर्णा योजना, खाद्य टिकट योजना इत्यादि में प्रकट हुई ₹ सात करोड़ की बचतों को मुख्य शीर्ष "3456-190-01-12 सहायतार्थ अनुदान" में हस्तांतरण के आदेश प्रदान किये गये (31 मार्च 2012) तथा इस शीर्ष को प्रतिपर्ती नामे करते हुये सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित किये गये।

यह ध्यान में लाये जाने पर (जुलाई 2012) विभाग ने तथ्य स्वीकार किये (जुलाई 2012) तथा यह बताया कि बोनस का भुगतान एक अप्रैल 2012 से किया जाना था, जिसके लिये वित्त विभाग द्वारा निधियों के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

तथ्य यह है कि विभाग द्वारा बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये निधियों का हस्तांतरण किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से 31 मार्च 2012 को निधियों का हस्तांतरण उचित नहीं था।

2.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 23-श्रम एवं रोजगार एवं अनुदान संख्या 47-पर्यटन के अन्तर्गत अवधि 2009-12 के लिये व्यय एवं प्राप्तियों की समीक्षा की गई। दृष्टिगत हुई मुख्य अनियमितताओं का सार नीचे सारीकृत किया गया है:

अनुदान संख्या 23 - श्रम तथा रोजगार

श्रम तथा रोजगार विभाग

निधियों का अहस्तांतरण

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 प्रत्येक में राज्य सरकार ने बजट शीर्ष "2230-01-103-07-राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अन्तर्गत ₹ 0.01 लाख का टोकन बजट प्रावधान किया। राज्य सरकार ने ₹ 0.50 करोड़ एवं ₹ 10 करोड़ क्रमशः जून 2010 एवं जुलाई 2011 में निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित किये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण सैस नियम, 1998 के नियम 4 एवं 5 के अनुसार राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्थानीय निकाय अथवा सैस वसूलीकर्ता द्वारा संग्रहित किये गये सैस को इसकी वसूली के 30 दिवस के अन्दर मण्डल को हस्तांतरित करना चाहिये था। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2010-12 के दौरान संग्रहित किये गये ₹ 239 करोड़ के श्रम सैस में से राज्य सरकार द्वारा ₹ 229 करोड़ मण्डल को हस्तांतरित नहीं किये गये, परिणामस्वरूप, शीर्ष "0230-800" के अन्तर्गत राज्य सरकार की प्राप्तियाँ इस सीमा तक परिवर्द्धित की गयी।

प्राप्तियाँ

वर्ष 2011-12 के दौरान, शीर्ष "0230-104-फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क" के अन्तर्गत ₹ दो करोड़ के मूल बजट अनुमानों के समक्ष ₹ 5.92 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई। विभाग द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2012) कि प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2011 से शुल्कों में संशोधन (100 प्रतिशत) तथा वर्ष 2011-12 में लाइसेंस हेतु 297 नई फैक्ट्रियों के पंजीकरण के कारण थी।

तथ्य यह है कि जनवरी 2011 में दरों में संशोधन के बाद भी विभाग द्वारा अपने प्रावधानों में परिवर्तन नहीं किया गया।

प्रकरण राज्य सरकार को सूचित किया गया (अगस्त 2012)। उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2012)।

अनुदान संख्या 47-पर्यटन

पर्यटन विभाग

व्यय

- वर्ष 2009-12 के दौरान बजट निर्णायक समिति (बीएफसी) द्वारा अनुमोदित मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक प्रावधान, अंतिम आवंटन तथा उनके समक्ष वास्तविक व्यय की स्थिति तालिका 2.12 में दी गई है:

तालिका 2.12 : वर्ष 2009-12 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	(₹ करोड़ में)
राजस्व	2009-10	23.44	-	23.44	21.60	1.84	
	2010-11	21.15	6.20	27.35	27.26	0.09	
	2011-12	19.59	1.12	20.71	20.20	0.51	
	योग	64.18	7.32	71.50	69.06	2.44	
पूँजीगत	2009-10	18.46	-	18.46	12.21	6.25	
	2010-11	22.65	6.56	29.21	28.35	0.86	
	2011-12	18.80	11.04	29.84	20.56	9.28	
	योग	59.91	17.60	77.51	61.12	16.39	

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 18.46 करोड़ के प्रावधान के समक्ष वास्तविक पूँजीगत व्यय मात्र ₹ 12.21 करोड़ हुआ। वर्ष 2011-12 में, ₹ 11.04 करोड़ का लिया गया अनुपूरक प्रावधान मात्र ₹ 1.76 करोड़ (16 प्रतिशत) की सीमा तक उपयोजित किया गया जो यह इंगित करता है कि अनुमान ठीक नहीं था।

बजट के दौरान की गई उद्घोषणा के क्रियान्वयन में विलम्ब

- वर्ष 2011-12 के दौरान, पर्यटन भवन के निर्माण हेतु पूँजीगत शीर्ष "5452-80-800-06 (आयोजना)" के अन्तर्गत ₹ पाँच करोड़ का प्रावधान अनुपूरक अनुदान के माध्यम से किया गया। तथापि, निर्माण स्थल का चयन नहीं होने के कारण 31 मार्च 2012 को ₹ 4.78 करोड़ (95.6 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये तथा ₹ 0.22 करोड़

पुनर्विनियोजित किये गये। राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2012) कि चिन्हित भूमि को विभाग को सुपुर्द करने के प्रस्ताव राज्यपाल सचिवालय को भिजवा दिये गये थे परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया (मार्च 2012)। इससे इंगित हुआ कि बजट में प्रावधान भूमि के अधिग्रहण/उपलब्धता की सुनिश्चितता के बिना किया गया था।

- मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण, 2010-11 में की गई उद्घोषणा (मार्च 2010) के अनुसरण में राजस्थान मेला आयोजन प्राधिकरण के गठन हेतु सहायतार्थ-अनुदान प्राधिकरण को देने के लिये बजट शीर्ष "3452-80-800-07 (आयोजना)" में ₹ एक करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्राधिकरण के गठन में देरी (अप्रैल 2011) के कारण यह राशि उपयोजित नहीं की जा सकी और निधियाँ पुनर्विनियोजित की गई। राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार कर लिए हैं (सितम्बर 2012)।
- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के दौरान जयपुर नगर के सौन्दर्योंकरण हेतु ₹ 2.75 करोड़ तथा हाथी गाँव-द्वितीय फेज-परियोजना, आमेर हेतु ₹ 3.22 करोड़ स्वीकृत (अगस्त/नवम्बर 2010) किये गये। भारत सरकार ने जयपुर के सौन्दर्योंकरण एवं हाथी गाँव योजना हेतु क्रमशः ₹ 2.20 करोड़ एवं ₹ 2.57 करोड़ जारी किये। राज्य सरकार ने नवम्बर 2010 में जयपुर विकास प्राधिकरण (जविप्रा) के निजी निक्षेप खातों में ₹ दो करोड़ तथा फरवरी 2011 एवं जनवरी 2012 में ₹ दो करोड़ (₹ एक करोड़ प्रत्येक) आमेर विकास प्रबन्धन प्राधिकरण (आविप्रा) के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित किये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2012 तक जविप्रा द्वारा ₹ 1.34 करोड़ व्यय किये गये तथा कार्य प्रगति पर था (जून 2012)। आविप्रा द्वारा जून 2012 तक ₹ 1.30 करोड़ व्यय किये गये। नवम्बर 2010 से राज्य सरकार (₹ 0.57 करोड़), जविप्रा (₹ 0.66 करोड़) तथा आविप्रा (₹ 0.70 करोड़) के निजी निक्षेप खातों में ₹ 1.93 करोड़ अनुपयोजित पड़े हुये थे।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2012) कि राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के संबंध में कार्यकारी अभिकरण द्वारा ₹ 2.20 करोड़ के कार्य किये जा चुके हैं। अग्रेतर, हाथी गाँव-द्वितीय फेज के संबंध में राज्य सरकार ने परियोजना में विलम्ब स्वीकार किया तथा सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि परियोजना 31 मार्च 2013 तक पूर्ण हो जायेगी। इस प्रकार, केन्द्रीय सहायता के उपयोग नहीं करने के कारण, भारत सरकार से ₹ 1.19 करोड़ की शेष सहायता से राज्य सरकार वंचित रही जो दोषपूर्ण आयोजना का सूचक है।

- भारत सरकार द्वारा शिव मन्दिर बाणदेवरा, रामगढ़ जिला बारां के पुनरुद्धार एवं संरक्षण हेतु जारी किये गये (दिसम्बर 2010) ₹ 3.92 करोड़ में से, विभाग द्वारा ₹ 0.50 करोड़ मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की (मई 2011)। इस प्रकार, राज्य सरकार के पास ₹ 3.92 करोड़ दिसम्बर 2010 से अवरोधित पड़े हुये थे।

राज्य सरकार ने जारी की गई निधियों का अनुपयोजन स्वीकार किया (सितम्बर 2012) और बताया कि स्थलों के चयन हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सेवानिवृत्त निदेशक (स्मारक) की अध्यक्षता में दक्ष एवं तकनीकी सलाहकारों की समिति गठित की गयी है।

प्राप्तियाँ

वर्ष 2009-12 के दौरान राजस्व शीर्ष "1452-पर्यटन" के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं उनके समक्ष वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ
1452-पर्यटन 800-अन्य प्राप्तियाँ 01-अन्य प्राप्तियाँ	2009-10	0.20	0.20	2.09
	2010-11	0.20	0.60	0.94
	2011-12	0.40	0.60	0.71
1452-पर्यटन 800-अन्य प्राप्तियाँ 02-केप्रयों के संबंध में प्राप्तियाँ	2009-10	15.00	10.00	-
	2010-11	15.00	15.00	-
	2011-12	15.00	15.00	-

जबकि वर्ष 2009-12 के दौरान शीर्ष "1452-800-02" के अन्तर्गत प्राप्तियाँ नहीं हुई थी, विभाग अनावश्यक रूप से प्रति वर्ष प्रावधान कर रहा था। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया है (सितम्बर 2012)।

2.6 कोषालयों के निरीक्षण के परिणाम

राज्य में 265 कोषालय/उप-कोषालय हैं, जिनके निरीक्षण का कार्यक्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर के अधीन है। वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान कोषालयों/उप-कोषालयों के कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर द्वारा किये गये निरीक्षण में पाई गई मुख्य अनियमिततायें निम्न प्रकार हैं:

● सोने व चाँदी की जब्त की गई वस्तुओं के निस्तारण का अभाव

राजस्थान कोषालय नियमावली, 1999 के नियम 122 के नीचे दी गई टिप्पणी संख्या 2 के अनुसार, जयपुर (शहर) कोषालय को सोने, चाँदी, हीरे-जवाहरात तथा सिक्के इत्यादि जो कि जब्त किये जाने के पश्चात् राज्य की सम्पत्ति हो गये हैं, जमा करने के लिये एक आरक्षित कोषागार राजस्थान सरकार ने घोषित किया है।

यह पाया गया कि ऐसी वस्तुओं के निस्तारण और लेखांकन के विस्तृत निर्देश निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान ने राज्य वित्त विभाग के अनुमोदन के उपरांत अभी तक नहीं बनाये हैं। तदनुसार, जब्त किये गये क्रमशः 23.642659 किलोग्राम एवं 758.43338 किलोग्राम सोने एवं चाँदी के आभूषण 23 वर्षों से अनिस्तारित एवं निष्क्रिय पड़े हुये थे।

● कम्प्यूटर पर पेंशन चैक रजिस्टर का अपूर्ण संधारण

निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से होने वाले पेंशन भुगतान की जाँच हेतु सभी कोषालय अधिकारियों को पेंशन चैक रजिस्टर संधारित करने हेतु निर्देश (अप्रैल 1998) जारी किये जिससे पेंशन के कम/अधिक भुगतानों का पता चल सके। यह पाया गया कि 31 कोषालयों/उप-कोषालयों द्वारा सम्पूर्ण विवरणों सहित आवश्यक पेंशन चैक रजिस्टर का संधारण नहीं किया था।

● दीर्घकालीन ऋणों की वृहद् पुस्तिकाओं का अपूर्ण संधारण

राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों (मई 1998) के अनुसार, दीर्घकालीन ऋण यथाभवन निर्माण अग्रिम एवं वाहन अग्रिम की वृहद् पुस्तिकाओं के सभी स्तम्भों की उचित रूप से पूर्ति की जानी चाहिये।

तथापि, यह पाया गया कि 14 कोषालयों ने दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों के सम्पूर्ण विवरण यथा जारी की गई स्वीकृति की संख्या एवं दिनांक, मासिक किश्तों की राशि एवं संख्या, कोषालय प्रमाणक संख्या सहित वृहत् पुस्तिकाएँ संधारित नहीं की तथा उसमें दिनांक अंकित नहीं किये, अधिशेष आरोपित नहीं किये तथा माह की समाप्ति पर वृहद् पुस्तिकाएँ बन्द नहीं की गयी।

● सुरक्षा प्रहरी रहित कक्ष में मूल्यवान वस्तुयें रखना

राजस्थान कोषालय नियमावली, 1999 के नियम 6 एवं राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये (जुलाई 2003) निर्देशों के अनुसार, जिन उप-कोषों में सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था नहीं हो, वहाँ जिला-कलेक्टर्स सील्ड पैकेट/बहुमूल्य सामग्री आदि को उप-कोषों में रखने की स्वीकृतियाँ जारी नहीं करेगें। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 14 उप-कोषालयों में, सुरक्षा प्रहरी रहित सुरक्षा कक्षों में विभिन्न प्राधिकारियों के द्वारा सील्ड पैकेट्स रखे हुये थे।

● अप्रचलित/कटे-फटे मुद्रांकों के निस्तारण का अभाव

राजस्थान कोषालय नियमावली, 1999 के नियम 319 में अप्रचलित/खराब मुद्रांकों की रिपोर्ट महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को भेजी जानी निर्दिष्ट है और अप्रचलित मुद्रांकों का निस्तारण महानिरीक्षक की अनुमति से करना चाहिये। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 10 कोषालयों/उप-कोषालयों द्वारा ₹ 20.12 लाख के इस प्रकार के अप्रचलित/खराब मुद्रांकों के निस्तारण की कार्यवाही नहीं की गई थी।

● रोकड़िये से प्रतिभूति बन्ध-पत्र प्राप्त न करना

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियम 313 के अनुसार कलेक्टर/कोषाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कार्यरत रोकड़िये से पर्याप्त प्रतिभूति बंध-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अट्टाईस कोषालयों/उप-कोषालयों में यह पाया गया कि रोकड़िये से प्रतिभूति बन्ध-पत्र प्राप्त किये बिना ही रोकड़ का कार्य करवाया जा रहा था।

2.7 विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना नवीन सेवाओं पर व्यय

"नवीन सेवा" शब्द को संविधान की धारा 115(1)(क) एवं 205(1)(क) में परिभाषित किया गया है। राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 16 के मद संख्या 21 में नवीन सेवा को नये क्रियाकलाप या निवेश के प्रकार सहित नवीन नीतिगत निर्णय (जिसे पहले विधानमण्डल को सूचित नहीं किया गया हो) के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उप-शीर्ष अथवा जहाँ उप-शीर्ष न हो तो लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान क्रिया-कलाप के विस्तार के कारण ₹ पाँच लाख या विद्यमान बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक जो भी अधिक हो, का भारी व्यय भी नवीन सेवा माना जायेगा।

वित्तीय वर्ष के दौरान "नवीन सेवा" पर हुये व्यय को आकस्मिकता निधि से प्रतिपूर्त किया जायेगा।

दस अनुदानों में (37 मामलों) वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 88.80 करोड़ का व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ पाँच लाख से अधिक तथा बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक "नवीन सेवाओं" पर किया गया (परिशिष्ट 2.11)। इन सभी प्रकरणों में नवीन सेवाओं पर किया गया व्यय आकस्मिकता निधि से प्रतिपूर्त नहीं किया गया और विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना किया गया।

2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 73,253.50 करोड़ की कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 6,537.27 करोड़ की समग्र बचत हुई। समग्र बचतें ₹ 0.12 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसादित ₹ 6,537.39 करोड़ की बचतों का निवल परिणाम थीं, जिनका भारत के संविधान की धारा 205 के अधीन नियमितीकरण अपेक्षित है। भारी बचतें दोषपूर्ण बजट अनुमानों को इंगित करती हैं। विभागों द्वारा ₹ 6,079 करोड़ (93 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये तथा सम्पूर्ण अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। सात प्रकरणों में ₹ 57.37 करोड़ बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये। उन्यासी मामलों में ₹ 1,742.31 करोड़ का एक-मुश्त प्रावधान अनुमानों में राबनि के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया। इसमें से, ₹ 1,573.72 करोड़ (90 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता सम्पूर्ण वित्तीय प्रबंधन में दृष्टिगत एक अन्य चिरकालिक प्रवृत्ति है, जो कि बजटरी नियंत्रण की कमी का सूचक है। वर्ष 2011-12 के दौरान 37 मामलों में विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना ₹ 88.80 करोड़ का व्यय "नवीन सेवाओं" पर किया गया।

कुछ अनुदानों की समीक्षा में भी प्रकट हुआ कि (i) वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि तथा जल संसाधन विभागों में, ₹ 0.10 करोड़ तथा ₹ 94 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थीं, (ii) पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमानों का प्रावधान किया गया, जबकि वर्ष 2009-12 के दौरान कोई प्राप्तियाँ नहीं थीं। पर्यटन विभाग द्वारा बजट अनुमानों में ₹ पाँच करोड़ का प्रावधान भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना किया गया, दो परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली राशि ₹ 1.93 करोड़ नवम्बर 2010 से जविप्रा, आप्रविप्रा एवं राज्य सरकार के निजी निक्षेप खाते में अनुपयोजित पड़ी हुई थी। दिसम्बर 2010 से ₹ 3.92 करोड़ की राशि राज्य सरकार के पास अवरोधित पड़ी हुई थी तथा (iii) श्रम एवं नियोजन विभाग में वर्ष 2010-12 में संग्रहित किये गये ₹ 229 करोड़ के श्रम सैस को राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मण्डल, जयपुर को हस्तांतरित नहीं किया गया (मार्च 2012)। कोषालयों के निरीक्षण में उनकी कार्यप्रणाली में कमियाँ पाई गईं।

सिफारिशें

- सभी विभागों को आयोजना एवं गैर-आयोजना निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं एवं व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये, वर्ष के अन्त में बड़े पैमाने पर होने वाले बचत/आधिक्य, पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण से बचने के लिये, वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिये।
- बचतों की सही समय पर गणना की जानी चाहिये तथा उनको अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावपूर्ण उपयोग के लिये वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अभ्यर्पित कर देना चाहिये।
- विभागों को निरन्तर बचतों या आधिक्यों से बचने के लिये बजटिंग में अधिक विश्वसनीय क्रियाविधि अपनानी चाहिये।
- सरकार को सभी विभागों पर आवंटन के समक्ष व्यय के लिये गहन अनुश्रवण करना चाहिये तथा अनुदानों से अधिक व्यय से बचना चाहिये।
- वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवंटन के समक्ष व्यय को अंतरालित किया जाना चाहिये तथा उसका ध्यानपूर्वक अनुश्रवण होना चाहिये अन्यथा बजटिंग एक कागजी कार्यवाही होकर रह जायेगी।
- नवीन सेवा पर व्यय आकस्मिकता निधि से पूरित करना चाहिये तथा विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित होना चाहिये।
- कोषालयों को उनकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली से बचाने के लिये कार्यप्रणाली का अनुश्रवण किया जाना चाहिये।